

[Smt. Mira Das]

and exploit the tourism potential of India. I am happy that the Government proposes to set up a National Tourism Co-ordination Committee involving the State Governments and representatives from travel, trade and aviation industry. The Government has an ambitious plan of increasing the number of tourists to five million and earn a foreign exchange of Rs. 150 billion.

In this connection I want to draw the attention of the hon. Minister to the availability of a tremendous tourism potential in Orissa. The temple—towns of Puri and Bhubaneswar, the world-famous Sun Temple in Konark, the golden beach at Puri, the largest lagoon Chilika and the marvellous natural beach at Gopalpur are some of the well known and famous spots of tourist attraction in Orissa. The sculptural grandeur of Konark temple has always attracted both domestic and foreign tourists. Keeping in view the tremendous tourism potential of Orissa, the State Government has proposed to develop the Konark Beach Resort. It is an ambitious project which proposes to set up luxury hotels, golf course, water sports facilities etc. It is likely to earn a lot of revenue to the State Government of Orissa and will also provide employment to the people of the State. I want that this project should not be stalled in the name of environment.

Madam Vice-Chairman, Orissa is a backward State. It should be the endeavour of the Government to help this State in its economic growth and development. I urge upon the Government to clear all the pending projects, take up construction of the proposed National Highway and expansion of the Bhubaneswar Airport. Thank you.

Need to ban Child Marriage

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, समय देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
* आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख

के द्वारा सरकार का ध्यान देश की रही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को तत्काल कार्रवाई करना चाहता हूँ।

मैडम, आज भी हमारे देश में प्राकृतिक जातियों और समुदायों में बाल-विवाह की प्रथा कायम है। देश में रास्वान, केरल तथा अन्य पिछड़े व आदिवासी इलाकों में इस प्रथा को आसानी से देखा जा सकता है। इन स्थानों में लोग 3-4 वर्ष की आयु में बच्चों का विवाह कर देते हैं और 15-16 वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते लड़की को सगुराल भेज देते हैं। कुछ क्षेत्रों तथा गाँवों में 12-13 वर्ष की आयु में बाल विवाह कर दिया जाता है।

मैडम, बाल विवाह के संबंध में दिनांक 12-3-94 को इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जो कि केरल में बाल विवाह की बढ़ती गति से संबंधित है। मैडम, केरल भारत का प्रथम प्रदेश है जिसमें कि हंड्रेड प्रतिशत शिक्षा है और हमें इस बात पर गर्व भी है, लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद इस प्रदेश में बाल विवाह की कुप्रथा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैडम, केरल के मालापुरम जिले के मेजेरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तथा कुछ स्कूलों के रिकॉर्ड से इस बात का पता चला है कि यहाँ पर 60 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों की शादी परिपक्वता आयु प्राप्त करने से पहले ही कर दी जाती है। इस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से 90 प्रतिशत लड़कियाँ दो वर्ष में भी बन जाती हैं या 70 लड़कियों की शादी 18 वर्ष की कम आयु में कर दी गई है। मैडम, यही प्रतिशत प्राइवेट हॉस्पिटल का भी है। इस क्षेत्र में लगभग 10 स्कूलों का सर्वे कराया गया है जिससे पता चला कि यहाँ प्रति वर्ष औसतन 6 लड़कियाँ 12 वर्ष से 15 वर्ष की बीच की आयु में विवाह बंधन में बांध दी गईं। मैडम, यहाँ मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शादी की आयु ज्यादातर 15 वर्ष रखी है। इस तरह इस क्षेत्र में बाल

विवाह में बिल्कुल कमी नहीं हो रही है जबकि बाल विवाह कानून की निगाह में इस्लीम है। यह कुप्रथा केवल लड़कियों की जिन्दगी नहीं खराब करती बल्कि हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार पर नहीं डाली जा सकती। इसके लिए सामाजिक संगठनों, राजनैतिक दलों, शिक्षकों और साहित्य सभाओं के योगदान की जरूरत है।

मैडम, मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि बाल विवाह संबंधी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों को इससे संबंधित कानूनों को सख्ती से, ठीक तरह से लागू करने की डायरेक्शन भेजी जाए।

श्रीमती उर्मिला किशन भाई पटेल (गुजरात) : मैडम, मैं इनके साथ जुड़ना चाहती हूँ। गुजरात और राजस्थान जैसी कई जगह आज भी हमारे देश में हैं, जहाँ बाल विवाह जारी है। छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है। हमारे यहाँ रबारी, धारण जैसी कम्युनिटी हैं, जिसमें 10-10, 11-11 साल में ऐसी स्थिति बनती है कि उस समय 16 साल की लड़की, 2 साल की लड़की या 6 महीने की लड़की, सबकी शादियाँ हो जाती हैं। कई हमारे यहाँ ऐसे रिवाज हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। बंकि लड़की को शादी वहाँ ज़रूरी कर दी जाती है, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती और जो अभ्यास शुरू किया होता है वह बीच में ही छोड़ देना पड़ता है।...

उपसभाध्यक्ष (कुमारो सरोज खापड़ें) : उर्मिलाबेन जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लीज।

श्रीमती उर्मिला किशन भाई पटेल : इससे महिला शिक्षा भी पूरी नहीं होती। एक और भी बात है, जहाँ मैरिजी प्लानिंग

का है, अब जब छोटी उम्र में शादी होती है तो बच्चे भी लड़की की छोटी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं और इससे हमारे इस प्रोग्राम को धोखा लगता है। इसलिए इस बात पर सोच विचार कर बाल विवाह के प्रतिबन्धक जो कानून हमारे हैं, उनका प्रमल होना जरूरी है।

श्री सीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : मैडम, मैं भी अपने को इससे एंगेजिड करता हूँ और जो राजस्थान में खासतौर से इस कानून की उल्लंघना हो रही है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

Dowry deaths

श्रीमती अन्न कला पाण्डेय (परिवर्ती बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज संसद में हमने भाषा की वरीयता को लेकर जोरदार चर्चा की। इस दिशा में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूँगी, भारत के किसी भी प्रांत के किसी भी भाषा का अखबार उठाकर देख लें, तो आज भी दहेज के कारण भरने वालीयों की घटनाएँ मिलती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-बार फिर बरसों से चली आती घृणित सामाजिक प्रथा दहेज की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूँगी, जिसके कारण भारत की दो और बेटियाँ बलजीत कौर और बीरबती, 22 और 21 वर्ष की ही उम्र में मौत की शिकार हो गईं। माननीया, विवाह हमारी सामाजिक व्यवस्था में दो प्राणियों का शारीरिक ही नहीं, मानसिक सम्मेलन का ही पवित्र प्रतीक है। मैं पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग और दहेज विरोधी कानून के रहते हुए भी ऐसी घटनाओं के मूल में जो अपराधी हैं उन्हें सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती ?

एक बार के बजट में गिफ्ट के रूप में एक लाख रुपए की छूट की घोषणा से दहेज की मांग को बढ़ावा मिला है। अमीर या बात तो उपहार में सोने चांदी के हीरे जड़े ताजमहल, जो करोड़ों की कीमत के होते हैं, सजावट की सामग्री के